

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

दॉ.अपील क.-219/15

संस्थित दिनांक-23/07/15

1. महेश सिंह आयु 50 साल
2. रामराज सिंह आयु 30 साल
3. बलदाऊ आयु 25 साल पुत्रगण राजाभैया
निवासी ग्राम जियाजीपुर
4. जवान सिंह आयु 48 साल
5. भंवर सिंह उर्फ भंवरा आयु 30 साल पुत्रगण
अहिवरनसिंह निवासी पुराना बस स्टेण्ड गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
6. मोहन सिंह पुत्र फेरन सिंह आयु 50 साल
निवासी बांकेपुर म0प्र0
7. देवेन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह आयु 30 साल
निवासी खिडकिया मोहल्ला गोहद थाना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम खेरियागजू
थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थीगण

बनाम

माध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 18/05/2017 को घोषित किया गया)

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 672/06, अपराध क्रमांक 177/04 अंतर्गत धारा-147, 323 एवं 323 सहपठित 149 पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद बनाम बलदाऊ उर्फ खूबकिशोर एवं अन्य में घोषित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 02.07.15 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्तगण महेश सिंह तथा जवान सिंह को धारा-147 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा-323 भां0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए छः-छः माह के कठिन कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से तथा अपीलार्थी/अभियुक्त बलदाऊ, भंवरसिंह, रामराज, देवेन्द्र एवं मोहन सिंह को भा0दं0सं0 की धारा-147 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा-323 सहपठित धारा-149 भां0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए तीन-तीन माह के कठिन कारावास से तथा पांच-पांच सौ रुपए अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।

2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 27.06.04 को सुबह 10 बजे के लगभग फरियादी तेजनारायण शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा पार्षद एवं उमेश कांकर के साथ थाना गोहद पर कमलेश शर्मा के वारंट की जानकारी लेने आया था, तभी थाने में अंदर महेश सिंह, बलदाऊ, रामराज पुत्रगण राजाभैया तथा भंवरसिंह, जवान सिंह पुत्रगण अहिवरन सिंह, देवेन्द्र पुत्र जसवंत सिंह तथा अन्य 8-10 लोगों के साथ आए और सभी के हाथों में बंदूकें थीं, आते ही महेश सिंह, जवान सिंह, भगवान सिंह बोले साले मादरचोद को मार डालो और तेजनारायण शुक्ला की ओर तीनों झपट कर उसे जान से मारने की नियत से गला दबा दिया तो थाने पर उपस्थित पुलिस बल ने तथा सत्यनारायण शर्मा और उमेश कांकर ने बीच बचाव करा दिया। इतने पर से ये लोग न माने और तेजनारायण को मारने की नियत से बंदूकें लोड कर फायर करने पर तत्पर हो गए। तब पुलिस बल ने उन्हें थाने से खदेड़ा। सभी अभियुक्तगण ने थाने के बाहर गोलीयां चलाई। तेजनारायण जान बचाने की नियत से थाने के कमरे में घुस गया। सभी अभियुक्तगण बाहर से कह रहे थे कि साले को थाने से बाहर आने दो तो गोली मार देंगे। स्थिति खराब होते देखकर पूरे पुलिस बल ने रामराज, बलदाऊ तथा देवेन्द्र को पकड़कर उनसे बंदूकें छीनकर थाने में बंद कर दिया। अभियुक्तगण से तेजनारायण को जान का खतरा था। उक्त घटना की रिपोर्ट लिखित आवेदन प्र0पी0-01 के रूप में फरियादी तेजनारायण शुक्ला द्वारा की गई। जिस पर से थाना गोहद में प्र0पी0-03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते हुए अपराध क्रमांक 177/04 अंतर्गत धारा-147, 148, 149, 294, 323, 506बी एवं 336 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

3. दौरान अनुसंधान फरियादी तेजनारायण शुक्ला, उमेश कांकर एवं सत्यनारायण शर्मा के पुलिस कथन लिए गए अभियुक्तगण

को प्र0पी0-04, प्र0पी0-05, प्र0पी0-06, प्र0पी0-07, प्र0पी0-08, प्र0पी0-09 एवं प्र0पी0-13 के गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहन सिंह के आधिपत्य से एक 12 बोर की एकनाली बंदूक मय दो जिंदा कारतूस के एवं एक खोखा प्र0पी0-10 के जप्ती पंचनामे के अनुसार जप्त की गई। अभियुक्त बलदाऊ उर्फ खूबकिशोर के आधिपत्य से थाना गोहद के अन्य अपराध में दिनांक 27.06.04 को प्र0पी0-11 के जप्ती पंचनामा के अनुसार एक 12 बोर बंदूक दोनाली मय 17 कारतूस जिंदा एवं एक खोखा सहित जप्त की गई। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण बलदाऊ, रामराज, देवेन्द्र, मोहन सिंह, महेश सिंह, जवानसिंह एवं भंवर सिंह के विरुद्ध अपराध पाए जाने से अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-294, 148, 323 सहपठित 149, 336 एवं 506 भाग-02 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढकर सुनाए व समझाए जाने पर अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-294, 148, 336 एवं 506 भाग-02 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। परंतु सभी अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-147 एवं महेश सिंह एवं जवान सिंह को भा0दं0सं0 की धारा-323 तथा शेष अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-323 सहपठित 149 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई तथा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे और अर्थदण्ड की राशि वापस दिलाई जावे।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 27.06.04 को सुबह 10:00 बजे या उसके लगभग थाना परिसर गोहद में फरियादी तेजनारायण शुक्ला को स्वेच्छा उपहति कारित करने के आशय से विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया ? और क्या स्वेच्छा उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुए फरियादी तेजनारायण शुक्ला को अभियुक्तगण

ने या उनमें से किसी ने स्वेच्छया उपहति कारित की ?

2. क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

7. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक के तर्कों एवं अपील मेमो में लिए गए आधार यह है कि मामले में प्रस्तुत किया गया कोई भी साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी है या सजातीय साक्षी है। साक्षियों ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। फरियादी द्वारा आवेदन पेश करने पर उस आवेदन की जांच के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। फरियादी ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि वह राजनैतिक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा है और उसका कार्यकर्ता है तथा उसका साथी सत्यनारायण शर्मा पूर्व पार्षद रहा है। पुलिस थाना गोहद पर दवाब बनाकर गलत रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। राजनैतिक प्रतिद्वंद्वता से झूठा प्रकरण बनाया गया है। बचाव में अपीलार्थी क्रमांक 01 महेश सिंह द्वारा अपना कथन किया गया है, जिसमें फरियादी तेजनारायण शुक्ला ने अपने प्रतिद्वंद्वता होना बताई है। यह भी बताया है कि उसके द्वारा भी उसी दिनांक 27.06.04 को सुबह 08:00 बजे तेजनारायण और उसके साथियों द्वारा झगडा करने पर अपराध क्रमांक 178/04 दर्ज कराया था। इस प्रकार इस मामले का कौंस प्रकरण भी था। जो तेजनारायण शुक्ला ने राजनैतिक दबाव में शासन से वापस कराया है तथा उसके भाई बलदाऊ के विरुद्ध असत्य रूप से अपराध क्रमांक 182/04 दिनांक 27.06.04 पंजीबद्ध कराकर धारा-25 एवं 27 आयुध अधिनियम का मुकद्मा लगवाया है। जिसमें इसी प्रकरण के साक्षी बच्चूलाल अ0सा0-04 एवं राकेश चतुर्वेदी ने गवाही दी है। उक्त आधारों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उभयपक्ष की साक्ष्य पर विचार किया गया। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-10 में यह निष्कर्ष दिया है कि साक्षी तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01, महेश एवं जवान सिंह द्वारा गला दबाना बताता है, जबकि उसके आवेदन प्र0पी0-01 में महेश सिंह, जवान सिंह, एवं भंवर सिंह द्वारा गला दबाए जाने का तथ्य लेख किया है। इसी प्रकार सत्यनारायण अ0सा0-02 के बारे में यह निष्कर्ष दिया है कि यह साक्षी यह बताता है कि महेश, भंवर सिंह एवं जवान सिंह ने फरियादी तेजनारायण शुक्ला का गला दबाया था। उसके बावजूद भी धारा-323 एवं 323 सहपठित 149 के तहत दोषसिद्ध किया है।

9. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-16 में यह निष्कर्ष दिया है कि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि

जब अभियुक्त बलदाऊ को दिनांक 27.06.04 की सुबह 10 बजे धारा-151 दंडप्र0सं0 की कार्यवाही में गिरफ्तार किया जा चुका था। तब वह सुबह 10 बजे ही फरियादी तेजनारायण शुक्ला के साथ मारपीट की घटना कैसे कारित कर सकता था। पैरा-17 में यह निष्कर्ष दिया है कि यह प्रकट होता है कि आरोपी बलदाऊ एवं मोहन से दिनांक 27.06.04 को सुबह 10 बजकर 05 मिनट पर थाना परिसर गोहद में ही उक्त बंदूकें किसी अन्य अपराध में या धारा-151 दंडप्र0सं0 की कार्यवाही में जप्त की जा चुकी थी। यह मानते हुए यह भी निष्कर्ष दिया है कि इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के संबंध में अभियुक्तगण से बंदूक जप्त होने का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त बंदूक पहले ही धारा-151 दंडप्र0सं0 की कार्यवाही में जप्त थी। उसके बावजूद भी विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में युक्तियुक्त संदेह होना मान्य नहीं किया है और धारा-147 एवं धारा-323 तथा 323 सहपठित 149 भा0दंड0सं0 के तहत दोषसिद्ध किया है।

10. विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पैरा-18 में यह निष्कर्ष दिया है कि घटनास्थल थाना गोहद के परिसर के अंदर है परंतु इसके बाद भी किसी पुलिस कर्मी को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है। ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह तथ्य अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार इन सभी तथ्यों को मानने के बावजूद भी विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यद्यपि धारा-148, 294, 336 एवं 506 भाग-02 भा0दंड0सं0 के आरोप संदेह से परे प्रमाणित होना पाए है। वहीं उसी साक्ष्य के आधार पर धारा-147 तथा धारा-323 एवं 323 सहपठित 149 भा0दंड0सं0 के तहत दोषसिद्ध भी कर दिया है। इस कारण से उक्त निष्कर्ष वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि निम्न आधारों पर त्रुटिपूर्ण है। जिनके संबंध में आगे के पदों में उल्लेख किया जा रहा है।

11. यदि अभियोजन के ही द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार किया जाए तब भी मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 27.06.04 के सुबह 10 बजे वह अपने मित्र सत्यनारायण शर्मा के भाई कमलेश शर्मा के वारंट के संबंध में पता करने के लिए सत्यनारायण व उमेश कांकर के साथ गोहद थाने गए थे। गोहद थाने पर अंदर एच.सी.एम. से वारंट के संबंध में बातचीत करना चाह रहा था कि तभी इतने में ही महेश गुर्जर, रामराज, बलदाऊ, देवेन्द्र, भंवरसिंह, जवानसिंह, मोहनसिंह और भी कुछ अन्य लोग थे, जो जान से मारने की नियत से चिल्लाते हुए भवन में घुसकर मार दो साले मादरचोद को कहते हुए, उसका गला दबा दिया। उसने यह बताया है कि घटना के संबंध में लिखित आवेदन प्र0पी0-01 दिया था। उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की थी।

12. तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 के द्वारा थाना गोहद पर दिया गया लिखित आवेदन प्र0पी0-01 का यदि अवलोकन करें तो पाते हैं कि उक्त आवेदन में महेशसिंह, बलदाऊ, रामराज, भंवरसिंह, जवानसिंह, देवेन्द्र के नाम है तथा अन्य 08-10 लोग होना बताया है। मोहन सिंह का नाम आवेदन प्र0पी0-01 में ही नहीं है। इस मामले में उपरोक्त छः अभियुक्तगण के साथ सातवें अभियुक्त मोहन सिंह के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। परंतु मोहन सिंह को किस आधार पर अभियुक्त बनाया गया यह स्पष्ट नहीं है। उसकी कोई पहचान भी नहीं कराई गई है कि मोहन सिंह ने फायर किया या गला दबाया या अन्य कोई कृत्य किया। मोहन सिंह ने क्या कृत्य किया यह अभिलेख पर है ही नहीं। घटना से उसे क्यों और किस प्रकार जोड़ा गया ऐसा भी प्रकट नहीं है।

13. तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 ने यह बताया है, कि उसका गला महेशसिंह एवं जवानसिंह ने दबाया था। प्रतिपरीक्षण में पैरा-05 में वह कहता है कि आवेदन प्र0पी0-01 में उसने तीन लोगों के द्वारा गला दबाने वाली बात बताई है और मुख्यपरीक्षण में दो लोगों द्वारा गला दबाने की बात बताई है। वह दोनों ही बातें सही है। इस प्रकार फरियादी ही अप्राकृतिक और अस्वभाविक साक्ष्य दे रहा है। दो लोगों के द्वारा गला दबाने की बात, तीन लोगों के द्वारा गला दबाने की बात के समान नहीं हो सकती है। दो लोगों के द्वारा गला दबाना अलग तथ्य है और तीन लोगों द्वारा गला दबाना अलग तथ्य है। आवेदन प्र0पी0-01 में महेशसिंह, जवानसिंह और भवर सिंह के द्वारा गला दबाना बताया है, जबकि साक्ष्य में केवल महेशसिंह और जवान सिंह द्वारा गला दबाना बताया है, वैसे भी तीन लोगों के द्वारा एक साथ गला दबाना एक अप्राकृतिक तथ्य है। सामान्य तौर पर एक ही व्यक्ति के द्वारा की गला दबाया जाता है, क्योंकि गला शरीर का वह अंग है जिसे दबाने के लिए तीन व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक से अधिक दो व्यक्ति गला दबा सकते हैं। तीन व्यक्ति गला नहीं दबा सकते। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं हो रही है।

14. आवेदन प्र0पी0-01 में उक्त छः अभियुक्तगण तथा 08-10 अन्य लोग होना बताए हैं और सभी के हाथ में बंदूकें होना बताया है। इस मामले में अभियोजन के अनुसार बंदूकें केवल मोहन सिंह एवं बलदाऊ से जप्त करना बताया है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं होती है कि सभी के हाथ में बंदूकें थीं। तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में ही पुलिस के द्वारा मौके पर लोगों को पकड़ना और उनसे बंदूकें जप्त होना बताया है। इस मामले में मुन्नालाल शर्मा अ0सा0-06 ने विवेचना अधिकारी रहते हुए, बलदाऊ, रामराज, देवेन्द्र, मोहनसिंह, महेशसिंह, एवं जवानसिंह को प्र0पी0-04 लगायत प्र0पी0-09 के गिरफ्तारी पंचनामा के अनुसार घटना दिनांक 27.06.04 को ही गिरफ्तार करना बताया है। आवेदन प्र0पी0-01 के अनुसार यदि यह मान लिया जाए कि सभी लोगों के पास बंदूकें थी,

तब ऐसी स्थिति में मोहनसिंह एवं बलदाऊ के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण से भी बंदूकें जप्त होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में इन तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है कि सभी अभियुक्तगण बंदूक लेकर आए थे अर्थात् घातक हथियारों से सुसज्जित थे।

15. सत्यनारायण शर्मा आ0सा0-02 ने महेश, भंवरसिंह, एवं जवान सिंह के द्वारा तेजनारायण शुक्ला का गला दबाने की बात बताई है। जबकि तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 यह कहता है कि महेश और जवान सिंह ने गला दबाया था। इस प्रकार इस बिन्दु पर अभियोजन के इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में ही नहीं हो रही है। सत्यनारायण शर्मा अ0सा0-02 ने पैरा-06 में यह स्पष्ट किया है कि घटना के समय किस-किस व्यक्ति ने फायर किया उसने नहीं देखा। पैरा-09 में उसने यह बताया है कि उसे नहीं पता कि गेट पर खड़े व्यक्ति फायर ने फायर किया था या बाहर से फायर किया गया था। इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस व्यक्ति ने क्या किया और किसने फायर किए और किसने नहीं किए और फायर कहां से किए गए आदि। उमेश कांकर अ0सा0-05 ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी मुन्नालाल शर्मा ने इस प्रकरण की विवेचना करना बताया है। उसने यह बताया है कि अभियुक्त बलदाऊ के धारा-151 दं0प्र0सं0 के तहत एवं अभियुक्त मोहन सिंह को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त बलदाऊ से एक 12 बोर दुनाली बंदूक एवं 17 जिंदा राउण्ड एवं खोखा एवं एक काले रंग की बिल्डोरिया उसी दिनांक 27.06.04 को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-02 बनाया था। उसी दिनांक को ही अभियुक्त मोहनसिंह से एक 12 बोर एकनाली बंदूक मय दो जिंदा राउण्ड एवं खोखा जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-02 बनाया था। जिससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही उसी दिनांक 27.06.04 को ही कर ली गई।

16. विवेचना अधिकारी मुन्नालाल शर्मा अ0सा0-06 ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा 25 एवं 27 आयुध अधिनियम की कार्यवाही नहीं की गई है। अभियोजन के अनुसार ही अभियुक्तगण मोहनसिंह एवं बलदाऊ के द्वारा थाना परिसर में बंदूकें चलाई गई है। निश्चित तौर पर यह आयुध अधिनियम के प्रावधानों तथा लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुन्नालाल शर्मा अ0सा0-06 ने पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि वह बलदाऊ के घर लाइसेंस जप्ती हेतु नहीं गया था। बलदाऊ से कह दिया था कि जाकर बंदूक लाओ। स्पष्ट है कि बंदूक उस दिनांक को घटना के समय थाना परिसर में ही नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में बंदूक से फायर करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बलदाऊ के जप्तीपंचनामे प्र0पी0-11 एवं मोहनसिंह के जप्तीपंचनामे प्र0पी0-10 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सुबह 10 बजकर 05 मिनट पर ही बंदूकों की जप्ती की गई। यह सारी परिस्थितियां विवेचना अधिकारी की कार्यवाही में निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न करती है, जो कि युक्तियुक्त है।

17. साक्षी राकेश चतुर्वेदी अ0सा0-03 एवं बच्चूलाल अ0सा0-04 जप्तीपंचनामा प्र0पी0-10 एवं 11 के साक्षी है जिन्होंने थाना परिसर में मोहनसिंह एवं बलदाऊ से उपरोक्त बंदूकें एवं कारतूस व खोखा जप्त होना बताया है। राकेश चतुर्वेदी अ0सा0-03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में बताया है कि बंदूक जप्त करने के लिए ए.एस.आई. ने नोटिस जारी किया था, तब वह थाने पर आया था। यह स्थिति भी पूर्णतः संदेहास्पद है। उसी दिनांक 27.06.04 की सुबह 10 बजे की घटना है और नोटिस जारी करने पर सुबह 10 बजे ही उपस्थित हो गए। जिससे कि इस तथ्य का आभास होता है कि पूर्व नियोजित योजना के तहत प्रकरण बनाया गया। राकेश चतुर्वेदी अ0सा0-03 ने यह बताया है कि वह गोहद साढ़े नौ पौने दस बजे के पश्चात गया था और उसे झगड़े की कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार जितने बजे वह थाने पर पहुंचना बताता है, अभियोजन के अनुसार उसके बाद ही झगड़ा हुआ है। इसी प्रकार बच्चूलाल अ0सा0-04 ने यह बताया है कि जप्ती कार्यवाही सुबह 09-10 बजे हुई थी। इस मामले में घटना सुबह 10 बजे की बताई है और 10 बजे के पूर्व ही जप्ती के साक्षी थाने पर आ जाते हैं। एक साक्षी नोटिस से आता है। पांच मिनट के अंदर ही बंदूक जप्त हो जाती है। यह सब निश्चित तौर पर संदेहजनक होना प्रकट होता है, जो कि युक्तियुक्त है, जिससे कि यह निष्कर्ष निकलता है कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। बच्चूलाल अ0सा0-04 यह बताता है कि जब वह थाने पर पहुंचा तो मोहन सिंह और बलदाऊ के अलावा अन्य कोई अभियुक्त थाने पर नहीं था। मोहनसिंह और बलदाऊ लॉकप में थे। जहां कि दोनों ही साक्षी सुबह 10 बजे के पूर्व थाना परिसर में पहुंच रहे हैं और 10 बजे की घटना है और बच्चू लाल अ0सा0-04 यह बता रहा है कि अन्य कोई अभियुक्त मौजूद नहीं थे, तब ऐसी स्थिति में सारा का सारा मामला संदेहास्पद हो जाता है।

18. विवेचना अधिकारी मुन्नालाल शर्मा अ0सा0-06 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-06 में इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा फरियादी पक्ष के विरुद्ध उसी दिनांक को रिपोर्ट की गई थी। जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साक्षी तत्समय थाना गोहद पर पदस्थ होते हुए, उसे सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी वह तथ्यों को छिपा रहा है। इस मामले में जप्तशुदा खोखों की कोई जांच नहीं कराई गई है, कि वह इन्हीं जप्तशुदा बंदूकों से चले हैं अथवा नहीं। मामले में राकेश चतुर्वेदी अ0सा0-03 एवं बच्चूलाल अ0सा0-04 की साक्ष्य के आधार पर जप्ती भी संदेहास्पद है और संपूर्ण घटना संदेहास्पद है।

19. विवेचना अधिकारी मुन्नालाल शर्मा अ0सा0-06 ने यह स्वीकार किया है कि उभयपक्ष राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। बचाव में महेशसिंह ब0सा0-01 ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है। उसने बताया है कि दिनांक 27.06.09 को सुबह 08 बजे तेजनारायण शुक्ला, रमेश दुबे आदि ने उसके भाई बलदाऊ, रामराज एवं देवेन्द्र की बंदूक

की बटों एवं डण्डों से मारपीट की थी तथा इस साक्षी के साथ गाली गलोच की थी। उसे खबर मिली थी कि पुलिस उसके भाई बलदाऊ को पकड़ कर ले गई थी। जिसकी जानकारी लेने वह थाने गया था और उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी। फरियादी पक्ष ने अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट थाना गोहद में कर दी है। उसके द्वारा की गई रिपोर्ट से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण को सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है।

20. महेशसिंह ब0सा0-01 के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है कि महेश ब0सा0-01 के द्वारा उक्त रिपोर्ट लिखाई गई और उक्त प्रकरण राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया। स्पष्ट है कि उसी घटना दिनांक को फरियादी पक्ष के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया था, जो वापस ले लिया गया। तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-07 में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके, रमेश एवं हेमू के विरुद्ध झूठा आवेदन पेश किया था, जिस पर से पुलिस ने राजनैतिक दबाव में उन लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था। जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि फरियादी पक्ष के विरुद्ध भी उसी दिनांक को प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तेजनारायण शुक्ला अ0सा0-01 की साक्ष्य से आवेदन प्र0पी0-01 की पुष्टि नहीं हो रही है। मामले में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गए हैं।

21. उपरोक्त इन सभी तथ्यों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य पर विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है और साक्ष्य की विवेचना किए जाने में भूल कारित की है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गला दबाने का तथ्य, बंदूक से फायर करने का तथ्य, बंदूक की जप्ती के तथ्य, अभियुक्त बलदाऊ एवं मोहन के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण के थाना परिसर में न होने के तथ्य, जप्तशुदा खोखों की जांच न कराए जाने के तथ्य, बलदाऊ की बंदूक तत्समय थाना परिसर में न होने के तथ्य आदि पर ध्यान न देकर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

22. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने और उसके सामान्य आशय के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग करने तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी तेजनारायण शुक्ला का गला दबाकर स्वेच्छा उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

23. अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त दोषसिद्धि एवं किए गए दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा0द00सं0 की

धारा-147, 323 एवं 323 सहपठित 149 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

24. अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

25. अपीलार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा एक-एक हजार रूपए की राशि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा कराई गई है। उक्त कुल राशि सात हजार रूपए है। उक्त जमा की गई अर्थदण्ड की राशि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को पुनरीक्षण अवधि पश्चात वापस की जावे।

26. इस प्रकरण में अपीलार्थी मोहनसिंह से एक 12 बोर की एकनाली बंदूक नंबर 20293-94 मय दो जिंदा राउण्ड एवं खोखे के जप्त की गई है। उक्त जप्तशुदा बंदूक एवं दो जिंदा राउण्ड लाइसेंसधारी होने के नाते मोहन सिंह को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है। उक्त बंदूक एवं दो जिंदा राउण्ड मोहनसिंह के पास ही रहेंगे। खाली खोखा एवं अन्य वस्तुएं पुनरीक्षण अवधि के पश्चात नष्ट किए जावें। सुपुर्दगीनामा भी पुनरीक्षण अवधि पश्चात निरस्त समझे जावें।

27. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड